

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1031/2018/जयपुर.

2. अपील संख्या - 1032/2018/जयपुर.

मैसर्स देवांश मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड,
एस.पी.-3-6, इण्ड0 एरिया केशवाना, कोटपुतली, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2013-14 (28.3.2013 से 31.03.2014) एवं वर्ष 2014-15 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9(2), 9(2)(ए) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24(6), 55 व 61 एवं राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 142 व 174 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.08.2018 के विरुद्ध केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, वृत्त-तृतीय, जयपुर द्वारा दिनांक 06.01.2017 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में निर्मित बीयर का बिहार एवं झारखण्ड राज्य में अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया है, जिसे लेखा-पुस्तकों में स्टॉक ट्रांसफर दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त कृत्य को करापवंचन की मंशा

लगातार.....2

31

से किया जाना मानते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.08.2018 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें वेट अधिनियम की धारा 83 सपटित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी राजस्थान, झारखण्ड व बिहार राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग एवं आबकारी विभाग में पंजीकृत फर्म है, जिनके द्वारा समस्त संव्यवहार नियमित घोषणा पत्रों एवं विभागीय अनुमति के आधार पर किये गये हैं। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा बियर का निर्माण किया जाकर विभिन्न राज्यों में विक्रय किया जाता है, जिसकी समस्त मॉनिटरिंग आबकारी विभाग द्वारा की जाती है एवं समस्त संव्यवहार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी 'एफ' फॉर्म से समर्थित हैं। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किसी भी मिथ्या घोषणा से माल का विक्रय नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा निर्मित माल का नियमित प्रक्रिया के तहत राज्य के बाहर स्थित डिपो में स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, जबकि व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A के तहत माल का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। व्यवहारी ने सर्वेक्षण के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपने समस्त बहियात एवं विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के अस्वीकार करते हुए अविधिक रूप से मांग सृजित की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य में बियर का निर्माण कर उसकी सप्लाई बिहार स्थित फर्म मैसर्स बिहार स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना एवं झारखण्ड स्थित फर्म मैसर्स झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची को एक निश्चित करार के तहत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की श्रेणी में आता

3

लगातार.....3

है। व्यवहारी द्वारा बियर का निर्माण उक्त फर्मों द्वारा निश्चित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया गया है एवं पैक की गयी बोतलों पर स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि "केवल बिहार/झारखण्ड राज्य में बिक्री हेतु"। ऐसी स्थिति में व्यवहारी द्वारा स्पष्ट रूप से करापवंचन की मंशा से अन्तर्राज्यीय विक्रय को स्टॉक ट्रांसफर बताने का प्रयास किया गया है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी फर्म के वर्ष 2009-10 से 2013-14 के कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील संख्या 2194-2198/2014/जयपुर में पारित निर्णय 04.10.2017 का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा इसी बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की जा चुकी है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स देवांश मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड, जयपुर के कर निर्धारण वर्ष 2013-2014 एवं 2014-15 से सम्बन्धित पारित किये गये आदेशों से सम्बन्धित हैं, जबकि इसी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2013-14 से सम्बन्धित पारित किये गये आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 2194-2198/2014/जयपुर मैसर्स देवांश मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 04.10.2017 पारित करते हुए अवधारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से अन्तर्राज्यीय विक्रय को स्टॉक ट्रांसफर दर्शाया गया है, अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की गयी है। राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"8. उभयपक्षीय बहस, रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन किया गया। प्रकरणों में विक्रेता व्यवहारी मैसर्स देवांस मॉडर्न ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर द्वारा पूर्व विद्यमान बी.एस.बी. सी.एल से विक्रय करने का करार के अधीन विशिष्ट क्वालिटी व मात्रा केवल मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल. के लिए माल का विनिर्माण किया जाकर राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्य के लिए माल का गमन संचलन (Movement) होना पाया जाता है। विक्रेता मैसर्स देवांश मॉडर्न ब्रेवरीज

3/

लग्नातार.....4

लि., केशवाना कोटपूतली, जयपुर को उसके विक्रय किये जाने वाले माल के संबंध में लिखित अनुबन्ध के अनुसार विशिष्ट खरीददार ज्ञात है तथा अन्ततोगत्वा खरीददार के आदेशित विशिष्टताओं के माल का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। बिहार स्थित मैसर्स बी.एस.बी.सी. एल. के गोदाम तक माल पहुँचाने में जोखिम (Risk) विक्रेता व्यवहारी की है। क्रेता मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल. बिहार द्वारा Agreement to sell विनिर्माता कम्पनी आदेशित विशिष्टताओं के माल का विनिर्माण Pre-order विक्रेता व्यवहारी कम्पनी से वरवाया गया है तथा मैसर्स बी.एस.बी.सी.एल. बिहार ही विनिर्माता माल का अन्ततोगत्वा एक मात्र खरीददार है। अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये जाने वाले विक्रय संव्यवहार पर कर चुकाने का दायित्व विक्रेता मैसर्स देवांस मॉर्डन ब्रेवरीज लि. केशवाना, कोटपूतली जयपुर का होता है। यह स्पष्टतः अन्तर्राज्यीय विक्रय प्रमाणित होता है। अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय वंध्यवहारों को कपटपूर्वक मिथ्या घोषणा करते हुए शाखा अन्तरण की घोषणा की जाकर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन कर का करापवंचन का कृत्य कारित किया गया है। विक्रेता व्यवहारी मैसर्स देवांस ब्रेवरीज लि., केशवाना, कोटपूतली, जयपुर ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में निष्पादित विक्रय संव्यवहारों को शाखा अन्तरण की आड लेकर के शाखा अन्तरण की मिथ्या घोषणा करते हुए करापवंचन किया गया है।

9. व्यवहारी द्वारा कपट पूर्वक तरीके से छद्म रूप से अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत शाखा अन्तरण को घोषित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। व्यवहारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दोषी मस्तिष्क के साथ (Malafide Intention) अन्तर्राज्यीय बिक्री को स्टॉक ट्रांसफर छद्म रूप से घोषित करते हुए करापवंचन किया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के तथ्य मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य से भिन्न पाये जाते हैं। अतः मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य का प्रकरण इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड अपील संख्या 541-544/2014 मैसर्स माउण्ड शिवालिका इण्ड. लि. बनाम सहायक आयुक्त, निर्णय दिनांक 24.11.2014 में इस मत को स्वीकार किया जाकर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को उचित माना गया है। उक्त विवेचनानुसार जानबूझकर सचेतन मस्तिष्क से छद्म घोषणा करके कर का अपवंचन करना प्रमाणित हुआ है। व्यवहारी कम्पनी ने भले ही समस्त व्यवहार लेखा पुस्तकों में अंकित किये हैं, किन्तु उसने जानबूझकर अन्तर्राज्यीय बिक्री घोषित नहीं कर स्टॉक अन्तरण घोषित किया है तथा व्यवहारी कम्पनी ने अपनी इस गलती को अब भी स्वीकार नहीं किया है, जो


लगातार.....5

3


उक्त विवेचन से प्रमाणित है। इस प्रकार माननीय न्यायालयों के दृष्टांत इस प्रकरण से भिन्न होने से इस हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2)(ए) सपठित अधिनियम की धारा 61 के अधीन करापवंचित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर किये गये करापवंचित कर राशि की दुगुनी तुल्य राशि आरोपणीय है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने उचित आधार पर कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।”

9. माननीय खण्डपीठ के उक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण में अन्यथा किसी विवेचन की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये दोनों आदेश दिनांक 09.08.2018 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


5.9.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य